कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश.

क्रमांक/2822/तकनीकी/एक/2005 भोपाल, दिनांक 21/11/2005.

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक,

समस्त उप पंजीयक,

मध्यप्रदेश.

विषय :— कृषि भूमि के दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण ।

———0———

पंजीयन प्रक्रिया के सरलीकरण के उद्देश्य से कुछ दिन पूर्व शहरी संपतित के अंतरण के दस्तावेजों का पंजीयन 1 घंटे मे कर पक्षकरों को लौटानों की व्यवस्था की गई है । उक्त व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य से संपत्ति का उप पंजीयक द्वारा स्थल निरीक्षण किये जाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गा है । इसके स्थान पर पक्षकार स्वयं संपत्ति के तीन कोणों से लिये गये फोटो लाते है तथा विक्रेतस द्वारा इस संबंध में एक शपथ—पत्र प्रस्तुत किया जात है कि उसके द्वारा दस्तावेज में संपत्ति का सही—सही विवरण अंकित किया गया है तथा दस्तावेज पंजीबद्ध कर 1 घंटे में पक्षकार को लौटा दिया जाता है इसके अच्छे परिणाम सामने आये है ।

इस प्रकार की सरल प्रक्रिया कृषि भूमि के अंतरण के दस्तावेजों के पंजीयन में भी अपनाया जाना प्रतीत होता है । वर्तमान में कृषि भूमि के अंतरण के दस्तावेजों के पंजीयन के समय खसरे की पंचसाला नकल की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करने का प्रावधान है । पांच साल का खसरा तैयार करवाने मे न केवल कृषकों का बहुमूल्य वक्त जाया होता है, अपितु पूर्व के वर्षों का अभिलेख तहसील कार्यालय में हस्तांतरित हो जाने के कारण उन्हें पटवारी एवं तहसील कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते है । अतः कृषि भूमि के दस्तावेजों के पंजीयन में वर्तमान प्रक्रिया के स्थान पर निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जाये :—

(1) पंचसाला खसरे के स्थान पर कम्प्यूटर से सृजित एक वर्ष का कम्प्यूटर में उपलब्ध नवीनतम खसरा प्रस्तुत कराया जाये । इसे तहसील कार्यालय से तत्काल प्राप्त किया जा सकता है ।

(2) विक्रेता से एक शपथ—पत्र संलग्न प्रारूप में प्राप्त किया जाये ।

निरंतर....2

(3) सिचाई से प्रभावित क्षेत्र (command areas) में स्थित भूमि को सामान्यतः सिंचित माना जाये । यदि कोई पक्षकार command areas की भूमि के असिंचित होने का दावा करता है, तो ऐसी भूमि तभी असिंचित मानी जायेगी, जब कि इसके असिंचित होने संबंधी राजस्व अधिकारी का प्रमाण–पत्र पक्षकार प्रस्तुत करे ।

कृपया उपर्युकत प्रावधानों का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करे ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार.

हस्ता / –

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश.

पृष्ठांकन क्रमांक / 2823 / तकनीकी / एक / 2005 भोपाल, दिनांक 21 / 11 / 2005.

प्रतिलिपि :–

(1) प्रमुख सचिव (वाणिज्यिक कर विभाग), मध्यप्रदेश शासन की ओर;

(2) समस्त आयुक्त, राजस्व, मध्यप्रदेश की आरे;

(3) समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।

हस्ता / –

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश.

संलग्न प्रारूप

हलफनामा

मै ....पिता..............................निवासी........................जाति.............
उम्र.......................सत्यनिष्ठा पूर्वक कथन करता हूँ कि :–

1. मेरे द्वारा विक्रय की जा रही ग्राम ....पटवारी हल्का क्रमांक........................से संबंधित भूमि शासकीय भूमि या शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है ।

2. उपर्युक्त विक्रीत भूमि में विगत पांच वर्षों में लगाई गई फसलों की स्थिति इस प्रकार है:–

वर्ष	खसरा नंबर	रकबा				ली गई फसल/फसलें एवं उनका रकबा		
		कृषि	व्यापवर्तित	पड़त	कुल	खरीफ	रबी	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

3. वितगत पांच वर्षों में सिंचित/असिंचित रकबे की स्थिति निम्नानुसार है :–

वर्ष	खसरा नंबर	सिंचित क्षेत्रफल (हैक्टेयर)			असिंचित	कुल भूमि
		शासकीय स्त्रोत	निजी स्त्रोत			
			स्वयं का	अन्य व्यक्ति का		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

4. निजी स्त्रोत में स्वयं के सिंचाई साधन होने की स्थिति निम्नानुसार है :–

सिचाई का स्त्रोत	संख्या	सिंचति भूमि का क्षेत्रफल
(1)	(2)	(3)

उपर्युक्त तथ्य मेरी जानकारी में सही एवं राजस्व अभिलेख के अनुसार है । किसी भी जानकारी के असत्य पायी जाने की स्थिति में पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी/रहेंगे ।

दिनांक :–

शपथगृहीता